रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, मार्च 18—मार्च 24, 2018, शनिवार/फाल्गुन 27, 1939—चैत्र 3, 1940
No. 5] NEW DELHI, MARCH 18— MARCH 24, 2018, SATURDAY/PHALGUNA 27, 1939— CHAITRA 3, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(गुणता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

का.नि.आ. 17.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (बहुकार्य कर्मचारीवृंद) भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के गुणता आश्वासन महानिदेशालय में बहुकार्य कर्मचारीवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद बहुकार्य कर्मचारीवृंद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपबाद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** .—वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. बहुकार्य कर्मचारीवृंद (कार्यालय)	763*(2018) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन स्तर-1 (18000 से 56900 रु.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(6)
18 और 25 वर्ष के बीच, (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा उत्तीर्ण)	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. स्थापन का प्रधान -अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य 3. उस स्थान या उसके निकट के स्थापन पर स्थित गुणता आश्वासन महानिदेशालय से भिन्न स्थापन से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. बहुकार्य कर्मचारीवृंद (सुरक्षा)	512*(2018) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनतुसचिवीय	वेतन स्तर-1 (18000 से 56900 रु.)	लागू नहीं होता

(6)
18 और 25 वर्ष के बीच, (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा उत्तीर्ण)	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. स्थापन का प्रधान -अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य 3. उस स्थान या उसके निकट के स्थापन पर स्थित गुणता आश्वासन महानिदेशालय से भिन्न स्थापन से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. बहुकार्य कर्मचारीवृंद (स्वच्छता)	288*(2018) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन स्तर-1 (18000 से 56900 रु.)	लागू नहीं होता

(6)
18 और 25 वर्ष के बीच, (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा उत्तीर्ण)	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. स्थापन का प्रधान -अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य 3. उस स्थान या उसके निकट के स्थापन पर स्थित गुणता आश्वासन महानिदेशालय से भिन्न स्थापन से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. बहुकार्य कर्मचारीवृंद (बागवानी)	49*(2018) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन स्तर-1 (18000 से 56900 रु.)	लागू नहीं होता

(6)
18 और 25 वर्ष के बीच, (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा उत्तीर्ण)	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. स्थापन का प्रधान -अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य 3. उस स्थान या उसके निकट के स्थापन पर स्थित गुणता आश्वासन महानिदेशालय से भिन्न स्थापन से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. बहुकार्य कर्मचारीवृंद (नाई)	5*(2018) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन स्तर-1 (18000 से 56900 रु.)	लागू नहीं होता

(6)
18 और 25 वर्ष के बीच, (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,

त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा उत्तीर्ण) और नाई के व्यवसाय या कार्य में कम से कम एक वर्ष का अनुभव रखता हो	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. स्थापन का प्रधान -अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य 3. उस स्थान या उसके निकट के स्थापन पर स्थित गुणता आश्वासन महानिदेशालय से भिन्न स्थापन से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. बहुकार्य कर्मचारीवृंद (नर्सिंग)	11*(2018) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन स्तर-1 (18000 से 56900 रु.)	लागू नहीं होता

(6)
18 और 25 वर्ष के बीच, (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)
आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा उत्तीर्ण) (ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव के साथ सेंट जॉन एम्बुलेंस से फर्स्ट एड और ड्रेसिंग में प्रमाण पत्र या समतुल्य **वांछनीय :** होम गार्ड या नागरिक सुरक्षा में 'बुनियादी' और 'पुनश्चर्या' पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. स्थापन का प्रधान -अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य 3. उस स्थान या उसके निकट के स्थापन पर स्थित गुणता आश्वासन महानिदेशालय से भिन्न स्थापन से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए/86320/भर्ती नियम/बहुकार्य कर्मचारीवृंद/डी.जी.क्यू.ए./एडम-10/ /डी.(क्यू.ए.)/2018]

सुभाष चंद्र, उप सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 2nd February, 2018

S.R.O. 17.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Director General of Quality Assurance, 'C' posts of Multi Tasking Staff Recruitment Rules 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Multi-Tasking Staff in the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Multi-Tasking Staff , Group 'C' posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.—**The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Multi Tasking Staff (Office)	763 * (2018) (* Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Level 1 (Rs. 18000 to Rs. 56900)	Not applicable

Age-limit for direct recruits
(6)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in case of general candidates and 45 years in case of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or of the Union territory of Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Matriculation (10^{th} class pass) from a recognised Board	Not applicable	Two years	Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Head of Establishment – Chairman 2. One Group 'A' Officer of the concerned Establishment - Member 3. One Group 'A' Officer from another Establishment of Directorate General Of Quality Assurance located in the station or nearby station - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Multi- Tasking Staff (Security)	512* (2018) (* Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial .	Pay Level 1 (Rs. 18000 to Rs. 56900)	Not applicable.

(6)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in case of general candidates and 45 years in case of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Matriculation (10^{th} class pass) from a recognised Board	Not applicable	Two years	Direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Head of Establishment - Chairman 2. One Group 'A' Officer of the concerned Establishment - Member 3. One Group 'A' Officer from another Establishment of Directorate General Of Quality Assurance located in the station or nearby station - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Multi- Tasking Staff (Sanitary)	288* (2018) (* Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Level 1 (Rs. 18000 to Rs. 56900)	Not applicable

(6)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in case of general candidates and 45 years in case of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or of the Union territory of Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Matriculation (10^{th} class pass) from a recognised Board	Not applicable	Two years	Direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Head of Establishment - Chairman 2. One Group 'A' Officer of the concerned Establishment - Member 3. One Group 'A' Officer from another Establishment of Directorate General Of Quality Assurance located in the station or nearby station - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Multi Tasking Staff (Horticulture)	49* (2018) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Level 1 (Rs. 18000 to Rs. 56900)	Not applicable

(6)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in case of general candidates and 45 years in case of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba Ddistrict of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or of the Union territory of Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Matriculation (10^{th} class pass) from a recognised Board.	Not applicable	Two years	Direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Head of Establishment - Chairman 2. One Group 'A' Officer of the concerned Establishment - Member 3. One Group 'A' Officer from another Establishment of Directorate General Of Quality Assurance located in the station or nearby station - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Multi-Tasking Staff (Barber)	5* (2018) (* Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Level 1 (Rs. 18000 to Rs. 56900)	Not applicable

(6)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in case of general candidates and 45 years in case of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or of the Union territory of Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Matriculation (10th class pass) from a recognised Board and having one year experience in Barber's trade or job	Not applicable	Two years	Direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Head of Establishment - Chairman 2. One Group 'A' Officer of the concerned Establishment - Member 3. One Group 'A' Officer from another Establishment of Directorate General Of Quality Assurance located in the station or nearby station - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Multi-Tasking Staff (Nursing)	11* (2018) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Level 1 (Rs. 18000 to Rs. 56900)	Not applicable

(6)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in case of general candidates and 45 years in case of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or of the Union territory of Lakshadweep).

(7)
Essential (i) Matriculation (10th class pass) from a recognised Board. (ii) First Aid and Dressing Certificate from St. John's Ambulance or equivalent with one year's experience in the relevant field. **Desirable** Training in 'Basic' and 'Refresher' Course in Home Guards or Civil Defence.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	Direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Head of Establishment - Chairman 2. One Group 'A' Officer of the concerned Establishment - Member 3. One Group 'A' Officer from another Establishment of Directorate General Of Quality Assurance located in the station or nearby station - Member	Not applicable.

[F. No. A/86320/RR/MTS/DGQA/Adm-10/ /D(QA)/2018]

SUBHASH CHANDRA, Dy. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.03.31 16:50:35 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.